# न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 64/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 24.02.2025
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. गंगाराम आत्मज मंगला जाति मीणा निवासी बरानी
2. भोजा आत्मज मंगला जाति मीणा निवासी बरानी – मृतक जरिये का0मु0
   2/1. नन्दबिहारी आत्मज स्व० भोजा मीणा
   2/2. देवप्रकाश आत्मज स्व० भोजा मीणा
   2/3. मुकेश आत्मज स्व० भोजा मीणा
   2/4. श्रीमति मोत्या बाई पत्नि स्व० भोजा मीणा
   निवासीगण ग्राम बरानी तहसील केशवरायपाटन, जिला बूंदी।
3. रामकिशन आत्मज मंगला जाति मीणा निवासी बरानी।
4. प्रभू आत्मज मंगला जाति मीणा निवासी बरानी।
5. बाबूलाल आ० मंगला मीणा नि० बरानी तह० केशवरायपाटन मृतक– जरिये का0मु0
   5/1. महावीर आत्मज स्व० बाबूलाल जाति मीणा
   5/2. श्रीमती कल्याणीबाई पत्नि स्व० बाबूलाल जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बरानी तहसील केशवरायपाटन जिला बूंदी राज०।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज बदरीलाल मीणा
2. हीरालाल आत्मज बदरीलाल मीणा
3. घनश्याम आत्मज बदरीलाल मीणा
4. छोटा आत्मज बदरीलाल मीणा
   जातियान मीणा नि० ग्राम बरानी तहसील केशवरायपाटन जिला बूंदी।
5. राज० सरकार जरिय तहसीलदार केशोराय पाटन जिला बूंदी।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रमेश जैन एवं के0डी0 दाधीच, अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री दशरथ सिंह सोलंकी अभिभाषक – रेस्पोडेन्टगण

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 12/अपील/2014 बउनवान नाथूलाल वगैराह बनाम गंगाराम वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपीलीय प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 12/अपील/2014 बउनवान नाथूलाल वगैराह बनाम गंगाराम वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2018 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश किये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के प्रकरण संख्या 32/2018 बउनवान गंगाराम वगेराह बनाम नाथूलाल वगेराह में दिनांक 18.07.2023 को निर्णय पारित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2023 से प्रस्तुत प्रकरण में यह विवेचन किया गया कि "नामा० सं० 10 दिनांक 26.4.1975 के विरूद्ध अपील दिनांक 1.5. 2014 को लगभग 40 वर्ष बाद पेश हुई थी ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम मियाद के बिन्दू पर सुनकर निर्णय किया जाना आवश्यक था उसके बाद गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक एंव कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संबध मे अपना कोई स्पष्ट अभिमत प्रकट किये बिना अपील का गुणावगुण के आधार पर आलौच्य जेरअपील निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।"

2. इस प्रकार उपरोक्त विवेचित अनुसार न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के द्वारा निर्णय दिनांक 18.07.2023 से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी के द्वारा प्रकरण संख्या 12/अपील/2014 बउनवान नाथूलाल वगैराह बनाम गंगाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 19.1.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संदर्भ में तथ्यात्मक एंव विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3. न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के प्रकरण संख्या 32/2018 बउनवान गंगाराम वगेराह बनाम नाथूलाल वगेराह में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2023 से व्यथित होकर रेस्पो0/प्रार्थी नाथूलाल के द्वारा पुनरीक्षण याचिका राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा निगरानी/एल.आर./4511/2023/बून्दी नाथूलाल बनाम गंगराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 से रेस्पो0/प्रार्थी नाथूलाल के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका आशिंकरूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का गुणाववगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा को प्रेतिप्रेषित किया गया।

4. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण सं0 निगरानी/एल.आर./4511/2023/ बून्दी बउनवान नाथूलाल बनाम गंगराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 की पालना में अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में पेश होने पर प्रकरण संख्या 208/2024 दर्ज रजिस्टर किया गया। इसके उपरांत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 12/अपील/2014 बउनवान नाथूलाल वगैराह बनाम गंगाराम वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2018 वर्तमान पदस्थापित अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के द्वारा ही निर्णित किये जाने की स्थिति में प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा से न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा में स्थानान्तरित किये जाने के उपरांत प्रकरण संख्या 64/2025 दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को गुणावगुण पर सुना गया।

5. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 112 रकबा 16 बीघा 14 बिसवा कुल 60 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बरानी जिसके नवीन खसरा संख्या 171 व 179 बने इन भूमियों के तत्कालीन खातेदार मंगला आत्मज नहनगा एवं गणेशी बेवा गिरधारी हिस्सा बराबर के खातेदार गणेशी की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि का मंगला के नाम तहसीलदार केशवरायपाटन द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 के विरूद्ध नाथूलाल वगैराह ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 को पारित करने से पूर्व मृतक गणेशी के वारिसान की समुचित जांच नहीं किया जाना तथा रेस्पो0 नाथूलाल वगैराह (अधीनस्थ न्यायालय के अपीलार्थीगण) को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना मानते हुए विवादित भूमि में गणेशी के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वारिसान का हित निहित होना प्रकट करते हुए तदनुसार उक्त आशय की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 19.01.2018 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय तहसीलदार केशवरायपाटन को प्रकरण में गणेशी के वारिसान की समुचित जांच कर वसीयत के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर प्रकरण में नये सिरे से अपना आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया।

6. प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी के निर्णय दिनांक 19.1.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण गंगाराम आदि ने द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश की गई, जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 40 वर्ष बाद पेश की गई अपील को मियाद बाहर नही मानकर मेरिट पर निर्णय करने मे भूल की है। जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रथम मियाद पर सुनकर उसका निर्णय किया जाना चाहिये इस कानूनी बिन्दू पर गौर नहीं किया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रेस्पोडेण्ट को थी, क्योंकि मंगला के पुत्रों द्वारा मंगला व बदरी के विरूद्ध बंटवारे का दावा दिनांक 18.03.1983 को पेश किया था, जिसमे विवादित भूमि का खातेदार जमाबंदी में मंगला दर्ज था उक्त दावे की सूचना वादी के पुत्र रेस्पो० नाथूलाल को हुई थी तथा उसमे मंगला व बदरीलाल ने दिनांक 03.01.1984 को जवाब पेश किया था। बदरीलाल को उस वक्त पता था कि यह समस्त भूमि मंगला के खाते में दर्ज है किन्तु उनके द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की। उक्त नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रेस्पोडेण्ट को थी। उक्त दावा सहायक कलक्टर बूंदी मि० नं0 29/दावा/83 बउनवान मंगाराम बनाम मंगला, बदरी वगेरा निर्णय दिनांक 19.9.86 है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अपील विषयक सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थीगण व उनके पिता मंगला का गणेशीबाई के देहान्त के पश्चात निरन्तर अब तक कब्जा चला आ रहा है। गणेशी के पिता गिरधारी व मंगला सगे भाई है, स्वभाविक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण खुला है बदरीलाल बहुत दूर का रिश्तेदार है उसके द्वारा कभी भी वसीयत के आधार पर भूमि का अपने पक्ष में नामान्तरकरण खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया, जो आवश्यक था। उक्त भूमि बाबत कभी भी क्लेम नही किया पूर्व के दावे मे भी कोई आपत्ति पेश नही की उक्त भूमि पर रेस्पो० व उनके पिता का कभी कब्जा नही रहा। अगर उक्त भूमि की वसीयत होती तो रेस्पो० व उनके पिता को चाराजोही करना चाहिये था किन्तु उनका कोई हक नही होने से उन्होने कभी कोई आपत्ति नही की तथाकथित वसीयत बनावटी है इन सब तथ्यो से सिद्ध है कि नामान्तरकरण की उनको प्रारम्भ से जानकारी थी। रेस्पो० द्वारा पेश वसीयत केवल गणेशीबाई के खाते की भूमि खसरा संख्या पुराना 113 रकबा 25 बीघा 12

कोटा संभाग, कोटा

बिस्वा, खसरा संख्या 54 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा खसरा संख्या 112 का आधा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 167 रकबा 7 बिस्वा जो पुराने खसरा संख्या 113 के बने है तथा 112 के नये खसरा संख्या 178 बना है, जो 16 बीघा 14 बिस्वा है, इसमें से आधी जमीन बद्रीलाल के खाते लग चुकी है तथा खसरा संख्या 181 व 167 जो वसीयत की है वह विवादित भूमि नही है। यह भूमि अपीलार्थीगण के खाते मे भी नही है, इस कारण उक्त वसीयत से रेस्पो० को कोई लाभ नही पहुंचता है तथा वसीयत सिद्ध भी नही है। वसीयत को सक्षम न्यायालय मे साबित किये बिना अपील चलने योग्य भी नही थी। इस बिन्दू पर गौर नही कर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज कानूनी नजीरों पर गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.1.2018 निरस्त किया जावे।

7. प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के द्वारा प्रकरण में अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि वाद विषयक भूमि खसरा संख्या 171, खसरा संख्या 179 स्थित ग्राम बरानी मे 1/2 हिस्सा मंगला आत्मज नहनगा मीणा व 1/2 हिस्सा गणेशी बाई पत्नि गिरधारी जी का था। गणेशी बाई का हिस्सा उक्त नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 से मंगला के खाते मे आया है। उक्त नामान्तरकण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय मे अपील रेस्पो0 के द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत की थी कि वाद विषयक भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता बद्रीलाल के पक्ष मे गणेशी बाई द्वारा वसीयत की थी तथा नामान्तरण खोलने के पहले रेस्पो0 को नही सुना गया, जबकि उक्त तथ्य मिथ्या है, वसीयत जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध न हो तब तक मान्य नही है। इसके उपरान्त भी तथाकथित वसीयत पर विचार किया जावे तो वसीयत मे गणेशी बाई ने अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 113 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा वसीयत की थी। इस भूमि के नये नम्बर 181 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा खसरा संख्या 167 रकबा 7 बिस्वा बने है। यह भूमि उक्त वसीयत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री लाल के एवं उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट के खाते मे दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट एवं बद्री लाल के मध्य हुए बंटवारे से यह भूमि बद्री लाल व उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट के खाते मे अलग–अलग दर्ज हो चुकी है तथा इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 112 की आधी भूमि वसीयत करना बताया है। जिसके नये खसरा संख्या 179 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा बने है, इसकी आधी भूमि मंगला के खाते दर्ज है तथा शेष आधी भूमि रेस्पोडेन्ट वसीयत द्वारा आना बताते है यह भूमि बद्रीलाल व उनके पुत्रो के बंटवारे मे आयी है तथा खसरा नं. 179/1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि घनश्याम पुत्र बद्री व खसरा संख्या 179/2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि छोटू पुत्र बद्रीलाल के खाते मे दर्ज है।

इस प्रकार गणेशी बाई द्वारा वसीयत की गयी सम्पूर्ण भूमि बद्रीलाल जी व उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट के खाते पंजीकृत हैं अर्थात प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 10 से कौन सी भूमि मंगला की है एवं खाते दर्ज हुई है, वह भूमि गणेशी बाई द्वारा वसीयत नही की गयी है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे अन्य आधार नामान्तकरण के विरूद्ध नही बताया है स्वयं को गणेशी बाई का उत्तराधिकारी नहीं बताया है। रेस्पो0 ने अपने नाम नामांतरकरण खोलने का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया तथा नामांतरकरण का विरोध भी नहीं किया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पीडित पक्षकार नही थे उनको अपील पेश करने का अधिकार नही था। नामान्तरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 को खुला है, जिसको लगभग 49 वर्ष हो चुके है। उक्त नामान्तरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री लाल व रेस्पोडेन्ट नाथूलाल को थी। इसका आधार यह है कि उक्त भूमि मंगला के खाते मे लगने के पश्चात उक्त भूमि पैतृक होने से अपीलार्थीगण के पुत्रो ने बंटवारे का दावा सहायक कलक्टर बूंदी के न्यायालय मे दिनांक 18.03.1983 को पेश किया था, जिसमे रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री लाल पक्षकार थे। उक्त भूमि वाद विषयक भूमि थी तथा उक्त बंटवारे के दावे मे यह तथ्य अंकित किये थे कि खसरा संख्या 179 की आधी भूमि प्रतिवादी बद्री लाल के कब्जे एवं स्वामित्व की है (खसरा संख्या 179 की आधी भूमि बद्री लाल जी के वसीयत से आयी है) तथा शेष भूमि के खातेदार पैतृक सम्पति होने से मंगला व उनके पुत्र अपीलार्थीगण उसी समय दावा डिक्री होकर भूमि अलग–अलग खाते लग चुकी है। उक्त दावे में रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री लाल को नोटिस जारी हुआ था, जो बद्री लाल के पुत्र रेस्पोडेन्ट नाथूलाल ने प्राप्त किया था। इसके पश्चात उक्त दावे मे रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री लाल उपस्थित रहे हैं और उन्होने इकबाली जवाब दिया था। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण की जानकारी जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि मंगला जी के खाते दर्ज हुई थी कि जानकारी दस्तावेज के आधार पर बद्री लाल व उनके पुत्र नाथूलाल को दिनांक 18.03.1983 को हो चुकी थी। उक्त दावे मे उक्त भूमि मंगला के खाते दर्ज होने का कोई विरोध जवाब दावे के द्वारा बद्री लाल ने नही किया बल्कि दावे को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया था। इस प्रकार रेस्पोरेन्ट ने तथ्यो को छिपाकर असत्य कथन के आधार पर 49 वर्ष पश्चात अपील पेश की है इस कारण इतने लम्बे समय बाद अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया जो कानून सम्मत नही होने से निरस्त होने योग्य है। नामान्तरण समरी कार्यवाही है, इस कारण लम्बे समय बाद नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य नही है। यदि रेस्पोडेन्ट अपना कोई क्लेम पेश करते है, तो वह सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर सकते है। नामान्तरण की कार्यवाही में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस तथ्यो पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश दस्तावेज से भी रेस्पोडेन्ट का वाद विषयक भूमि मे कोई हक नही है, उनको अपील पेश करने का अधिकार नही है। गणेशी बाई के पुत्रियां थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

या नही। यह केवल नियमित दावा मे ही तय होगा उनकी तरफ से कोई अपील नही की गयी है। वाद विषयक नामान्तरकरण का कोई विरोध नही किया है, रेस्पोडेन्ट का भूमि पर कोई हक नही है, हको का निर्धारण नियमित दावो मे ही हो सकता है इतने लम्बे समय बाद अर्थात 49 वर्ष पश्चात नामान्तरण निरस्त होने योग्य नही है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2018 निरस्त किये जाकर नामांतरकरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 को यथावत रखने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD 14-02-2016 Page No. 96, RRD 1987 Page No. 106, 2022(1) DNJ [SC] Page No. 303, RRD 1998 Page No. 553, RLW 1999(2) Raj. Page No. 1359, RRD 14-05-2010 Page No. 281, RRD July, 2005 Page No. 401** पेश किये।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी संख्या 30 की कृषि भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 112 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 60 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बरानी तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी में स्थित हैं। मिलान क्षेत्रफल मौजा बरानी सम्वत 2022 से 2041 में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 171 व 179 बने, उक्त कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार मंगला आत्मज नहनगा एवं गणेशी बेवा गिरधारी थे तथा दोनो का हिस्सा बराबर था। अपीलार्थीगण के पिता मंगला आत्मज नहनगा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 26.04.1975 को मंगला ने विधि विरूद्ध बिना किसी आधार के तथा गलत तथ्यों को पेश कर गणेशी बेवा गिरधारी के हिस्से की कृषि भूमि 1/2 का नामान्तरकरण दिनांक 22.04.1975 को पेश करवाकर दिनांक 26.04.1975 को अपने नाम तस्दीक करवा लिया। उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। मृतक खातेदार गणेशी बेवा गिरधारी द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 02.07.1963 को रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री के पक्ष में एक वसीयत नामा इस आशय का निष्पादित कर दिया गया था कि बद्री आत्मज हरिराम जो मेरा देवर लगता है तथा मेरे पति गिरधारी के समय से ही बचपन से मेरे पास रहकर मेरी सेवा बन्दगी कर रहा है, इसकी शादी भी मेरे पति गिरधारी ने ही की है और इस समय भी मेरी सेवा बंदगी बद्री ही कर रहा है। इसलिये मेरी समस्त जायदाद जो मेरे पति से मुझे मिली है, जो वसीयत बद्री के नाम करती हूँ। इस प्रकार से गणेशी के उक्त कृषि भूमियों के नामान्तरकरण 1/2 हिस्सा की हद तक रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री के नाम खुलना चाहिए था एवं रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशी के ही एक मात्र वारिस व बहेसियत गोद पुत्र होने एवं वसीयत उनके नाम होने से उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी हो जाते है। उक्त वसीयत सब रजिस्ट्रार केशवरायपाटन के द्वारा रजिस्टर्ड हुई है। इन कथनों की जाँच कोई माननीय अधीनस्थ न्यायालय, श्रीमान् तहसीलदार महोदय के० पाटन द्वारा नहीं करके अवैध रूप से मंगला के नाम वारिस मानकर नामान्तरकरण दर्ज

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कर दिया। रेस्पोडेन्ट के पिता बद्री आत्मज हरिराम ने उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.07. 1963 के आधार पर पुराना खसरा संख्या 112 (बाद के नये 179) रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से गणेशी का हिस्सा 1/2 हिस्सा विधिक रूप से अपने नाम तस्दीक करवा लिया था लेकिन अपीलार्थीगण के पिता मंगला आत्मज नहनगा ने खसरा संख्या 135 (नया 171) रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा भूमि 1/2 हिस्सा के स्थान पर गणेशी बेवा गिरधारी का वारिस बनकर सम्पूर्ण भूमि 43 बीघा 16 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम अवैध व विधि विरूद्ध बिना सुनवाई के तथा बिना वारिसान की जाँच करके अपने नाम खुलवा लिया, जो न्यायहित में खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण के पिता मंगला आत्मज नहनगा, गणेशी बेवा गिरधारी का विधिक वारिसान होता तो निश्चित रूप से गणेशी बेवा गिरधारी द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.07.1963 में उल्लेख होता इसलिये निश्चित रूप से अपीलार्थीगण के पिता मंगला वल्द नहनगा गणेशी का वारिस नहीं है तथा उक्त नामान्तरकरण के पूर्व भी मंगला आत्मज नहनगा ने उक्त भूमि का नामान्तरण छल कपट पूर्वक खुलवाने की कोशिश की है, जो नामान्तरण संख्या 26 दिनांक 27.11.1973 खारिज हुआ है। उक्त नामान्तरण संख्या 26 दिनांक 27.11.1973 के अवलोकन से भी सिद्ध होता है कि अपीलार्थीगण के पिता मंगला आत्मज नहनगा, गणेशी का वारिस नहीं है तथा नामान्तरण संख्या 72 दिनांक 05.11.1990 के अवलोकन से भी मंगला आत्मज नहनगा गणेशी का वारिस नहीं है। अपीलार्थीगण के द्वारा गंगाराम वगैराह बनाम मंगला वगैराह वाद संख्या 29/83 बंटवारे का दावा सहायक कलक्टर बून्दी के यहां पर पेश किया था उक्त वाद में मंगला आत्मज नहनगा की अन्य भूमियों के बारे में वाद पेश किया गया था। उस समय की जमाबन्दी में बद्री आत्मज हरिराम के खातें में मात्र एक खसरा नम्बर 179 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में 1/2 हिस्सा होने से बद्री को फोरमल पक्षकार बनाया गया था, जो उनके बंटवारे के दावे में भी अंकित है। इस प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी द्वारा गुणावगुण के आधार पर व धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2018 को पारित किया गया है, जो सहीं एवं न्याय संगत है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD 1998 Page No. 329, RRD Sept. 2007 Page No. 672, RRT 2009(1) Page No. 179, RRT 2010(1) Page No. 188, RRT 2015(2) Page No. 806, RRT 2017(1) Page No. 95, RLW 1997(1) Raj. Page No. 224, RRT 2018-19(Supp.) Page No. 145** पेश किये।

10. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.01.2018 में विवेचन किया गया कि "जमाबन्दी संवत 2022-2041 ग्राम बरानी के अनुसार विवादित भूमि के खातेदार मंगला वल्द नहनगा एवं गणेशी बेवा गिरधारी मीणा थे। खातेदार गणेशी के

देहावसान के बाद समस्त भूमि 60 बीघा 10 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 10 दिनांक 26.04. 1975 मंगला आत्मज नहनगा मीणा के नाम गणेसी का वारिस बताते हुए तस्दीक कर दिया गया। अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व न तो अपीलांट की सुनवाई की गई और न हीं वारिसान के संबंध में समुचित जांच की गई जैसा कि अपीलाधीन नामांतरकरण के अवलोकन से प्रकट होता है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में मुस्मात गणेशी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 02.07.1963 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिससे गणेशी द्वारा अपनी भूमि अपीलांट के पिता बदरी को वसीयत करना प्रमाणित होता है। अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक करते समय वसीयत के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं लाये जा सके।'' जबकि न्यायालय हाजा में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में तर्क उठाये गये हैं कि गणेशी बाई द्वारा खसरा सं0 113 रकबा 26 बीघा व खसरा सं0 112 की आधी भूमि वसीयत करना लिखा है। उक्त दोनों भूमियां रेस्पो0 के पिता बदरीलाल के खाते लग गयी है। खसरा सं0 113 के नये खसरा सं0 181 बने हैं व खसरा सं0 112 के नये खसरा सं0 179 बने हैं तथा नामांतरकरण खसरा सं0 171 व 179 के आधे भाग का खुला है। इस प्रकार वसीयत की भूमि व नामांतरकरण की भूमि भिन्न–भिन्न हैं। गणेशी बाई वाद विषयक भूमि खसरा सं0 171 की सह खातेदार थी जिसका नामांतरकरण खुला है उस भूमि की कोई वसीयत गणेशी बाई ने नहीं की है। रेस्पो0 व उसके पिता बदरी का उक्त भूमि खसरा सं0 171 में कोई हक नहीं है, खसरा सं0 112 में 1/2 हिस्सा गणेशी बाई का था व 1/2 हिस्सा मंगला का था। इस खसरा संख्या में से गणेशी बाई ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि की वसीयत बदरीलाल के पक्ष में करना बताया है तथा खसरा सं0 112 का 1/2 हिस्सा बदरीलाल के खाते दर्ज हो चुकी है।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में गणेशी बाई के द्वारा दिनांक 02.07.1963 को वसीयत किया जाना प्रकट होता है तथा गणेशी बाई के द्वारा खसरा सं0 113 रकबा 26 बीघा व खसरा सं0 112 की आधी भूमि वसीयत करना लिखा है। इस वसीयत के आधार पर बदरीलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में नामांतरकरण खुलवाने की कोई कार्यवाही नहीं किया जाना प्रकट होता है। चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिंडिंग है तथा अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद से ही तय किये जा सकते हैं। न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी के समक्ष अधिकार घोषणा एवं बंटवारे का वाद संख्या 29/83 में बदरी लाल पक्षकार थे, तत्समय भी बदरीलाल के द्वारा अपने अधिकारों के लिए कोई दावा काउंटर क्लेम नहीं किया जाना प्रकट होता है। बदरी लाल के द्वारा बंटवारे के प्रकरण में उक्त वसीयत के आधार पर काउंटर क्लेम नहीं किये जाने तथा वसीयत का उल्लेख अपने जवाब में भी नहीं किये जाने से बदरी लाल के अधिकार तत्समय ही समाप्त हो जाते हैं। चूंकि बदरीलाल के द्वारा उक्त

सम्भा. नि. आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खुलवाने के संबंध में कोई चाराजोही नहीं की गई, ऐसी स्थिति में नामांतरकरण से संबंधित कार्यवाही एक समरी प्रोसिंडिंग होने से इस न्यायालय के द्वारा हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। साथ ही दिनांक 02.07.1963 की वसीयत के आधार पर बदरीलाल के द्वारा चाराजोही नहीं किये जाने से उसके पुत्र के द्वारा अपने अधिकार चाहे जाने हेतु नियमित वाद प्रस्तुत कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार नामांतरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से बदरीलाल के वारिसान को इस न्यायालय के द्वारा कोई राहत दिया जाना संभव नहीं की गई तथा तत्समय जैरकार नियमित वाद में बदरीलाल के पक्षकार होने के बावजूद वसीयत का उल्लेख नहीं किया जाने से रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमित वाद के माध्यम से ही राहत प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.01.2018 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप अपील अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 12/अपील/2014 बउनवान नाथूलाल वगैराह बनाम गंगाराम वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 19.1.2018 अपास्त किया जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा